बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक

संख्या–2/आ0–70–26/2014 गृ0आ0 ..../बेगूसराय जिला बल के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक (ओ0एस0डी0) अरूण कुमार सिन्हा, पुलिस कार्यालय, बेगूसराय द्वारा कर्त्तव्य पालन के दौरान बरती गयी घोर लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता, संदिग्ध आचरण, नैतिक अधमता एवं एक अयोग्य पुलिस पदाधिकारी होने के आरोप में श्री अरूण कुमार सिन्हा, सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), कैमूर कों बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है ।

2. निलम्बन की अवधि में श्री सिन्हा का मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक, पटना प्रक्षेत्र, पटना का कार्यालय रहेगा ।

3. निलम्बन की अवधि में श्री सिन्हा को बिहार सेवा संहिता के नियम–96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

4. निलम्बन की अवधि में श्री सिन्हा सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे ।

5. श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित की जाएगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(महाशंकर मिश्र)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापाक–2/आ0–70–26/2014 गृ0आ0 ..../ पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापाक–2/आ0–70–26/2014 गृ0आ0 ....6562............/ पटना, दिनांक 07.08.14

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (बै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, बिहार, पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, कैमूर/पुलिस अधीक्षक, कैमूर एवं श्री अरूण कुमार सिन्हा, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), कैमूर सम्प्रति निलंबित द्वारा पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–5, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव